

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)
// विविध आदेश //

जावक क्र. : 43/2020

बुरहानपुर, दिनांक-11.07.2020

माननीय रजिस्ट्री के परिपत्र क्रमांक बी/2407 जबलपुर दिनांक 10.07.2020 के अनुसार कोरोना वायरस की राष्ट्रव्यापी महामारी को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधीपति महोदय द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की संख्या को देखते हुए, पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू-13 दिनांक 17.05.2020, परिपत्र क. बी/1880 जबलपुर दिनांक 30.05.2020, परिपत्र क. ए/1214 दि. 05.06.20, परिपत्र क. ए/1382 दिनांक-12.06.20, परिपत्र सी/1455 दि. 19.06.20, डी/2377 दि. 27.06.20, सी/1625 दि. 04.07.20 एवं अन्य जारी परिपत्रों एवं स्पष्टीकरण के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही हेतु जारी निर्देशों को म.प्र. राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों के लिये दि.13.07.2020 से दि. 17.07.2020 तक के लिये बढ़ाया जाना निर्देशित होने से, परिपत्र में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, मैं वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर जिला न्यायालय बुरहानपुर के लिये जारी समस्त आदेश/परिपत्र को अधिष्टित करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ :-


1. सीमित कार्य हेतु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक क्यू-12 दि.04.05.2020 एवं डी/2377 दि. 27.06.20 की निरन्तरता में दिनांक 13.07.2020 से 17.07.2020 तक इस जिला स्थापना में अति-आवश्यक प्रकरण ही सुनवायी में लिये जा सकेंगे।
2. शेष दिशा-निर्देश पूर्व आदेशानुसार यथावत् रहेंगे।

सही/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

पृष्ठा. क्र. : 57/2020
प्रतिलिपि :-

बुरहानपुर, दिनांक : 11.07.2020

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कुटुम्ब न्यायालय/जिला न्यायालय बुरहानपुर,
3. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर,
4. पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित करने हेतु,
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बुरहानपुर की ओर समस्त अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु,
6. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ,


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No.B/2407 /

Jabalpur, dated 10/07/202

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in State of M.P. as follows :

- (i) The regular functioning in District Courts of 7 districts namely Hoshangabad, Dindori, Anuppur, Jhabua, Umariya, Mandla and Alirajpur has been extended from 13th July till 17th July 2020, as per Circular No.C/1625 dated 04.07.2020.
- (ii) The limited functioning as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020 and Circular No.Q-12 dated 4th May 2020 has been extended from 13th July, 2020 till 17 July, 2020 for the High Court as well as for remaining 43 District Courts except District Court, Indore, where only urgent matters will be heard as per circular No. Q-5, dated 25.03.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice



(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL